Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

नन्दलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर

किस्म मुकदमा – राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 मुकदमा संख्या 47/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2024		

नन्द लाल पुत्र रामस्वरूप जाति खटीक निवासी कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा

....................प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित 1. श्री खेमसिंह गुर्जर एडवोकेट– प्रार्थी

2. सरकार पेरोकार–तहसीलदार मण्डावर

निर्णय

दिनांक 09.03.2024

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर स्वयं उपस्थित हुये। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर पैरा संख्या 01 में वर्णित (जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम नांगल कोलरा तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या नया क्रमशः 11) ग्राम नांगल कोलरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी सहखातेदार है तथा अन्य की खातेदारी की आराजी रही है। प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का समस्त दस्तावेजों में सही नाम नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप जाति खटीक निवासी कोट तहसील महवा हाल मण्डावर दर्ज है। उक्त गलती के बने रहने से प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। उक्त दरूस्ती किये जाने से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना भी नहीं है। उक्त गलत प्रविष्ठि की पूर्व में जानकारी नहीं थी। प्रार्थी दिनांक केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को इस गलती का पता चला। प्रार्थी द्वारा नकल लेने पर ही इसकी जानकारी हुई। राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि उपरोक्त वर्णित पैरा नम्बर 01 में दर्ज प्रार्थी का नाम आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप को हजफ किया जाकर नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप दर्ज करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navneet Kumar
Date: 2024.03.18 10:23.15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

नन्दलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर

मुकदमा – राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 मुकदमा संख्या 47/23

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार मण्डावर की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया गया कि तहसील मण्डावर जिला दौसा के ग्राम नांगल कोलरा की जमाबंदी संवत 2072–75 (चालू) के खाता संख्या 11 में आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 125/1974 जाति खटीक सा कोट दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप जाति खटीक निवासी कोट दर्ज है। भू0अ0 निरीक्षक हल्दैना एवं पटवारी हल्का हल्दैना की जांच रिपोर्ट अनुसार आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप व नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। इसका सही नाम नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप है। हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम नांगल कोलरा तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या 11 में प्रार्थी सा. कोट खातेदार है। उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र सभी में नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। तहसीलदार मण्डावर ने भी अपने जवाब में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप की जगह नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप दुरस्त करने की अभिशंषा की है। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर ग्राम नांगल कोलरा तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता संख्या 11 (प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि) में खातेदार आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप की जगह नन्दलाल पुत्र रामस्वरूप ... के आदेश प्रदान किये जाते है। ... जमाबंदी यथावत/बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार ... को आदेश की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच महवा न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच महवा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Navneet Kumar

Date: 2024.03.18 10:23:15 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner